संख्या-49/2022/459/003-23-14-2022-48जनरल/2017

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ : दिनांक- 17 अगस्त, 2022**

विषय:-अनुदान संख्या-58 जिला योजना (नवनिर्माण) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 56 चालू कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-594/CE-HQ1/JYRE/KNP/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 595/CE-HQ1/JYNN/AZM/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 596/CE-HQ1/JYNN/ADY/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 598/CE-HQ1/JYNN/ALI/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 597/CE-HQ1/JYNN/MBD/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 672/CE-HQ1/JYRE/JHA/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 673/CE-HQ1/JYRE/KNP/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 674/CE-HQ1/ JYRE/ALI/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 675/CE-HQ1/ JYNN/AGR/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 676/CE-HQ1/JYNN/PRJ/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 677/CE-HQ1/JYNN/AZM/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 678/CE-HQ1/ JYNN/LKO/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 679/CE-HQ1/JYNN/ADY/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 680/CE-HQ1/JYNN/KNP/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 681/CE-HQ1/JYNN/MRT/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 682/CE-HQ1/JYNN/MBD/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 683/CE-HQ1/JYNN/ALI/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 684/CE-HQ1/JYNN/GON/2022-23, दिनांक 26.07.2022, 731/CE-HQ1/JYRE/lko/2022-23, दिनांक 28.07.2022, 732/CE-HQ1/JYRE/MIR/2022-23, दिनांक 28.07.2022, 733/CE-HQ1/JYNN/JHA/2022-23, दिनांक 28.07.2022, 734/CE-HQ1/JYNN/MIR/2022-23, दिनांक 28.07.2022, 789/CE-HQ1/JYRE/MRT/2022-23, दिनांक 29.07.2022, 790/CE-HQ1/JYNN/LKO/2022-23, दिनांक 29.07.2022, 791/CE-HQ1/JYNN/ADY/2022-23, दिनांक 29.07.2022, 792/CE-HQ1/JYNN/BAS/2022-23, दिनांक 29.07.2022, 848/CE-HQ1/JYNN/VNS/2022-23, दिनांक 29.07.2022, 849/CE-HQ1/JYNN/BAS/2022-23, दिनांक 29.07.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-58 जिला योजना (नवनिर्माण) चालू कार्य के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्तर्गत निम्नलिखित सूची में उल्लिखित जनपदों की कुल 56 जिला योजना (नवनिर्माण) चालू परियोजनाओं हेतु सूची की तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित कुल स्वीकृत लागत धनराशि रू0 2596.84 लाख के सापेक्ष स्तम्भ-10 में उल्लिखित धनराशि रू0 7,95,78,000.00 (रूपये सात करोड़ पंचानवे लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम	खण्ड/जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृत / मूल लागत	दि. 31.3.2022 तक आवंटन	दि. 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नि-.ख.1 कानपुर देहात	लहरापुर संगसियापुर मार्ग का पुर्ननिर्माण कार्य।	63.51	45.20	18.31	6.00	0.00	12.31	12.31
2	नि-.ख.2 आजमगढ़	सरायसागर मुस्तफाबाद सम्पर्क मार्ग से खुटिया सम्पर्क मार्ग के बीच का भाग का नव निर्माण का कार्य।	36.57	29.26	7.31	3.92	0.00	3.39	3.39
3	नि-.ख.2 आजमगढ़	सजई सम्पर्क मार्ग के शेष भाग (बीबीगंज मार्ग सजई मार्ग से) का नव निर्माण का कार्य।	36.40	29.12	7.28	1.80	0.00	5.48	5.48
4	नि-.ख.2 आजमगढ़	जहाँगीरपुर सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	26.37	21.10	5.27	1.24	0.00	4.03	4.03
5	नि-.ख.3 बाराबंकी	विकास खण्ड देवां में छेदानगर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	38.62	30.90	7.72	0.47	0.00	7.25	7.25
6	नि-.ख.3 बाराबंकी	कुवंरपुर सरकौना सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	42.97	34.38	8.59	4.41	0.00	4.18	4.18
7	प्रा.ख. अलीगढ़	ऊँटासानी जलोखर मार्ग से रतनगढ़ी तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	104.35	83.48	20.87	6.87	0.00	14.00	14.00
8	प्रा .ख. अलीगढ़	जिला योजना के अन्तर्गत ग्राम भौजाका से ग्राम गोंदोली तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।	74.46	59.57	14.89	10.72	0.00	4.17	4.17
9	प्रा .ख. कासगंज	शेखपुर हुण्डा से भडेरी मार्ग के छूटे हुए भाग का नव निर्माण का कार्य।	34.5	27.59	6.91	0.8	0.00	6.11	5.64
10	प्रा.ख. अमरोहा	सैदपुर इम्मा में रईस के मकान से जब्दा मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य।	80.94	64.75	16.19	0.37	0.00	15.82	15.82
11	नि-.ख.3 जालौन	राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-27 से कि .मी.330 से उसरगांव रेलवे स्टेशन तक सम्पर्क मार्ग किमी0 1 (400) का निर्माण कार्य	31.56	7.24	24.32	4.47	0.00	19.85	19.85
12	नि.ख. इटावा	बरालोकपुर से इरैन सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण का कार्य।	27.92	22.34	5.58	0.00	0.00	5.58	5.58
13	प्रा.ख. एटा	अलीगंज सराय अगहत मार्ग से उभई असदनगर सम्पर्क मार्ग पर पुनः निर्माण का कार्य।	21.07	11.37	9.70	1.97	0.00	7.73	7.73
14	प्रा .ख. कासगंज	शेखपुर हुण्डा मार्ग से नगला भडेरी मार्ग का पुनः निर्माण।	21.69	15.55	6.14	0.44	0.00	5.70	5.70

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

15	**प्रा.ख. आगरा**	सुनहरा से जाजऊ सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	82.60	55.10	27.50	2.92	0.00	24.58	22.55
16	**नि-.ख.2 फतेहपुर**	शाहपुर पक्की सड़क से (मोड़) बाबूलाल कुशवाहा के घर तक सम्पर्क मार्ग।	40.09	34.00	6.09	4.58	0.00	1.51	1.34
17	**नि-.ख.1 प्रतापगढ़**	राहाटीकर रेहुआ लालगंज मार्ग से पुरे गंगई लखापुर सम्पर्क मार्ग।	47.77	38.22	9.55	0.17	0.00	9.38	9.38
18	**नि-.ख.2 आजमगढ़**	कुशवां सम्पर्क मार्ग से लारपुर जोखू का अवशेष भाग (बक्सू) का नव निर्माण का कार्य।	30.05	24.04	6.01	3.30	0.00	2.71	2.71
19	**नि-.ख.3 खीरी**	मुन्नापुरवा सम्पर्क मार्ग।	27.52	22.02	5.50	3.25	0.00	2.25	2.25
20	**प्रा0ख0 खीरी**	बेहजम कैमहरा मार्ग पर जमुआरी नदी के पुल से सिसैनपुर ग्राम के मध्य छूटी कडी का नव निर्माण कार्य।	66.92	53.54	13.38	0.95	0.00	12.43	12.43
21	**प्रा .ख. सीतापुर**	अफसरिया से शुकुलपुरवा सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	70.51	0.01	70.50	0.15	0.00	70.35	70.35
22	**प्रा .ख. सीतापुर**	कौमपुर सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	52.02	0.01	52.01	0.18	0.00	51.83	51.83
23	**प्रा .ख. सीतापुर**	आम्बा डामर रोड से चमारनपुरवा के मध्य छूटी कड़ी का निर्माण।	37.91	0.01	37.90	0.20	0.00	37.70	37.70
24	**नि-.ख.1 उन्नाव**	दहरौली पुल डामर मार्ग से अजीजपुर डामर तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	38.90	0.30	38.60	0.10	0.00	38.50	38.50
25	**नि-.ख.1 रायबरेली**	रोखा सरकारी अस्पताल से पूरे दुन्दा सिरसी तक सम्पर्क मार्ग किमी 1 से 2(250)	80.20	64.16	16.04	0.00	0.00	16.04	16.04
26	**प्रा.ख. अयोध्या**	विकास खण्ड मया में ऐमी पुल अरवत सम्पर्क मार्ग से ग्राम चाचिकपुर में लाल जी तिवारी के घर तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	64.01	51.21	12.80	0.04	0.00	12.76	12.76
27	**प्रा.ख. कानपुरनगर**	जी0टी0 मार्ग से सुभौली की छूटी कडी का नवनिर्माण कार्य।	38.61	30.89	7.72	6.07	0.00	1.65	1.65
28	**प्रा.ख. बुलन्दशहर**	अहमदनगर मार्ग से गोलाकुआं का अवशेष भाग का नवनिर्माण का कार्य।	24.88	8.88	16.00	2.81	0.00	13.19	13.19
29	**प्रा .ख. बुलन्दशहर**	सराय छबीला बालका मार्ग से चरौरा रजवाहा वाया मिल्क मकनपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	29.83	10.65	19.18	6.51	0.00	12.67	12.67
30	**प्रा.ख. बिजनौर**	ईदगाह रिंग रोड से एम0डी0 कॉलेज तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। .सी.सी) (मार्ग	23.75	19.00	4.75	1.64	0.00	3.11	3.11
31	**प्रा .ख. बिजनौर**	ग्राम फतेहपुर सभाचंद में मेन हाईवे से गलखा माता मन्दिर तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। (मार्ग .सी.सी)	22.06	17.65	4.41	0.06	0.00	4.35	4.35

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

32	**प्रा .ख. बिजनौर**	ककराला से औरंगाबाद हिलालपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	29.79	23.83	5.96	2.72	0.00	3.24	3.24
33	**प्रा .ख. बिजनौर**	ग्राम खेड़ी जट से फुलसन्दा मार्ग का नवनिर्माण का कार्य।	22.23	17.78	4.45	0.86	0.00	3.59	3.59
34	**प्रा .ख. मुरादाबाद**	ग्राम शाहूपुर से देहरी जुम्मन मार्ग के नव निर्माण का कार्य।	50.81	40.65	10.16	1.00	0.00	9.16	9.16
35	**प्रा.ख. एटा**	खेरिया से नगला बधू सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	139.74	57.82	81.92	32.56	0.00	49.36	49.36
36	**नि-.ख.1 बहराइच**	महारापुरवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य ।	44.41	35.53	8.88	0.13	0.00	8.75	8.75
37	**नि-.ख.1 बहराइच**	बझौवा सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य ।	78.66	62.93	15.73	0.07	0.00	15.66	15.66
38	**प्रा.ख. रायबरेली**	पोखरनी सम्पर्क मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य।	23.27	18.62	4.65	1.36	0.00	3.29	3.29
39	**नि.ख. सोनभद्र**	कांचन संपर्क मार्ग का पुनः निर्माण कार्य ।	10.63	8.16	2.47	0.45	0.00	2.02	2.02
40	**नि .ख. सोनभद्र**	पी0एम0जी0एस0वाई मार्ग से गोडानी टोला संपर्क मार्ग का पुनः निर्माण ।	17.86	9.62	8.24	0.50	0.00	7.74	7.74
41	**नि-.ख.1 जालौन**	एन0एच0-27 से अजनारा गौशाला तक सम्पर्क मार्ग के किमी 1,2 (100) में नवनिर्माण का कार्य।	76.67	61.34	15.33	0.00	0.00	15.33	15.33
42	**नि-.ख.2 मिर्जापुर**	नरायनपुर इमलियाचट्टी मार्ग से सोनई होते हुए भलवा सम्पर्क मार्ग। सीमार्ग .सी.	37.69	30.15	7.54	0.68	.00	6.86	6.86
43	**प्रा .ख. सोनभद्र**	बी0एस0 रोड बुडहर से पुरसोत्तमपुर सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण	57.56	32.70	24.86	0.27	0.00	24.59	24.59
44	**प्रा .ख. सोनभद्र**	जडकढवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण।	53.93	31.26	22.67	0.35	0.00	22.32	22.32
45	**नि-.ख.2 गाजियाबाद**	ग्राम सिरोली से गनौली से बाहर रास्ते से पुनः निर्माण का कार्य।	20.46	16.37	4.09	0.39	0.00	3.70	3.70
46	**नि-.ख.1 खीरी**	ग्राम बल्हवापुर मजरा पिपड़ा मरोड़ा में प्रभुनाथ मौर्या के घर के पास से डामर रोड से रामऔतार मौर्य के घर तक डामर रोड निर्मार्ण।	101.98	40.36	61.62	9.93	0.00	51.69	51.69
47	**प्रा0ख0 खीरी**	शिवराजपुर तिराहे से सरैया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	42.42	33.94	8.48	0.08	0.00	8.40	8.40
48	**नि-.ख.2 रायबरेली**	लालागंजरालपुर-सेमरपहा- मार्ग से गागूमऊ सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य।	41.21	16.40	24.81	0.33	0.00	24.48	20.36
49	**नि-.ख.2 रायबरेली**	कासीदीन का पुरवा से बहाई अम्बारा पश्चिम के मध्य छूटी कड़ी का नव निर्माण कार्य।	42.00	33.60	8.40	0.03	0.00	8.37	8.37
50	**प्रा.ख. सुल्तानपुर**	लखनऊ बलिया मार्ग पर स्थित बरौंसा स्टेट बैंक से भोजापुर सम्पर्क मार्ग।	18.26	8.96	9.30	0.00	0.00	9.30	9.00
51	**नि-.ख.1 सिद्धार्थनगर**	सिसवा बसहिया नौडीह कोटिया दीगर मार्ग के किमी-7 से रमगढता सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	86.10	33.59	52.51	4.60	0.00	47.91	40.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

52	**नि-.ख.1 सिद्धार्थनगर**	भड़रिया से कटरिया पाण्डेय होते हुए गोपिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	18.59	7.24	11.35	2.00	0.00	9.35	8.00
53	**नि-.ख.1 सिद्धार्थनगर**	बी0टी0आई0बी0 के किमी-28 से भिलौरी पूरबडीह सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	39.75	15.49	24.26	3.90	0.00	20.36	15.00
54	**नि-.ख.1 गाजीपुर**	जिला योजनान्तर्गत मलसा ढढनी नगसर उतरौली मार्ग से अवती शिव मंदिर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	42.77	34.22	8.55	0.05	0.00	8.50	8.50
55	**प्रा .ख. गाजीपुर**	शिकारपुर सरहद से ग्राम कुराह तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	42.86	21.97	20.89	1.45	0.00	19.44	19.44
56	**प्रा.ख. सिद्धार्थनगर**	ककरहवा खैराटी सम्पर्क मार्ग के किमी-2 से हरपौली सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	38.63	30.9	7.73	4.26	0.00	3.47	3.47
		योग	**2596.84**	**1634.97**	**961.87**	**144.38**	**0.0**	**817.49**	**795.78**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता तथा स्वीकृत मात्राओं की जिम्मेदारी निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तयरदायित्व प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा तथा कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो एवं कार्य समय से पूर्ण हो, यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाये। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

3- मिट्टी का कार्य मनरेगा से कराया जायेगा तथा मनरेगा अंश की धनराशि राज्य सरकार के खाते से अवमुक्त नहीं की जायेगी।

4- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

5- धनराशि का आहरण उपलब्ध परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाय।

6- आहरण के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्य जिला योजना समिति से अनुमोदित है।

7- आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आबंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

8- परियोजनान्तर्गत विभिन्न् निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें। जिन परियोजनाओं में सम्पूर्ण धनराशि आवंटित की जा चुकी है, उन परियोजनाओं को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ्स सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

9- निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बकन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

10- परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

11- परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध् करायी जाय।

12- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला योजना (नवनिर्माण) चालू कार्य के अन्तर्गत उक्त सूची में उल्लिखित 56 कार्यों हेतु किसी भी स्थिति में उनकी स्वीकृत लागत से अधिक धनराशि आवंटित न की जाय तथा निर्माण कार्यों को गुणवत्तायुक्त पूर्णकर पूर्णता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,95,78,000.00 (रूपये सात करोड़ पंचानवे लाख अट्ठहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371318 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों के चालू निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-49/2022/459/003-23-14-2022-48जनरल/2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार,लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय,प्रयागराज ।

3- मण्डलायुक्त,सम्बन्धित मण्डल ।

4- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेन्ट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,सम्बन्धित जनपद के अनुसार।

6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1)लोक निर्माण विभाग को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26.07.2022, 28.07.2022 एवं 29.07.2022 के संदर्भ में ।

7- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1)लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- मुख्य अभियन्ता,सम्बन्धित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग ।

9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।

10- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड,प्रयागराज ।

11- वेब अधिकारी,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ ।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10

13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

नीरजा सक्सेना

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।